<u>**प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 09/2024)**</u>

<u>**तत्काल प्रकाशन हेतु**</u>

<u>**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**</u>

भादूविप्रा द्वारा 'एक्सेस सेवा वीएनओं की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी' विषय पर एक परामर्श पत्र' जारी किया गया।

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'एक्सेस सेवा वीएनओं की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी'** विषय पर एक परामर्श पत्र' जारी किया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 07.07.2023 के एक संदर्भ के माध्यम से एक्सेस सेवा वीएनओं की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी के संबंध में भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के तहत निम्नलिखित मुद्दों पर भादूविप्रा से अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया था:

(i) नेटवर्क सेवा ऑपरेटरों (एनएसओ) की उचित संख्या जिनके साथ एक्सेस सेवा प्राधिकार रखने वाले और वायरलाइन सेवाएं प्रदान करने वाले वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) को लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में कनेक्टिविटी लेने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ii) वीएनओं जिनके पास एक्सेस सेवा प्राधिकार है और जो वायरलेस और वायरलाइन दोनों सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में वायरलेस सेवाओं के लिए एक नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) और वायरलाइन सेवाओं के लिए दूसरे नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) से कनेक्टिविटी लेने की अनुमति दी जा सकती है।

2. इस संबंध में, 'एक्सेस सेवा वीएनओं की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी' विषय पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। उक्त परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 22.03.2024 तक लिखित टिप्पणियाँ और दिनांक 05.04.2024 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

3. टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियाँ श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा